

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या - 03

पटना, दिनांक 21.06.2016

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) के निम्नलिखित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को कॉलम-3 में दर्शाए गए स्थान से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम-5 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम	वर्तमान पदस्थापन	गृह जिला	स्थानान्तरण के फलस्वरूप पदस्थापित अंचलों का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री बिन्दु कुमार सिंह	कसवा	मधेपुरा	कोढ़ा, कटिहार
2	श्री अब्बास आलम	कुर्साकाटां	किशनगंज	वायसी, पूर्णियाँ
3	श्री अरुण कुमार	ठाकुरगंज	अररिया	बड़हरा कोठी, पूर्णियाँ
4	श्री अवधेश कुमार	बहादुरगंज	अररिया	किशनगंज
5	मो० अफरोज आलम	टेढ़ागाछ	अररिया	दिघलबैंक, किशनगंज
6	श्री आमोद कुमार सिंह	कोढ़ा	पूर्णियाँ	समेली, कटिहार
7	श्री सहवीर उड़ाव	मनिहारी	पूर्णियाँ	गमहरिया, मधेपुरा
8	श्री विमल कुमार	कदवाँ	पूर्णियाँ	फलका, कटिहार
9	श्रीमती सोनाली प्रभा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में श्रमायुक्त कार्यालय, पटना	पटना	सरमेरा, नालन्दा
10	श्री रतन लाल	पदस्थापन की प्रतीक्षा में श्रमायुक्त कार्यालय, पटना	पटना	छपरा सदर
11	श्री कमलेश्वर प्रसाद मिश्र	पदस्थापन की प्रतीक्षा में श्रमायुक्त कार्यालय, पटना	पटना	ब्रह्मपुर, बक्सर
12	श्री सुरेश कुमार साह	पदस्थापन की प्रतीक्षा में श्रमायुक्त कार्यालय, पटना	पटना	चौसा, बक्सर

2. उक्त सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28.06.2016 तक प्रत्येक दशा में अपने नये पदस्थापन स्थान पर अवश्य कार्यभार ग्रहण कर लें। कार्यभार छोड़ने/ग्रहण करने के लिए कदापि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा नहीं की जाय।

3. संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया जाता है कि स्थानान्तरित अधिकारियों को तत्काल विरमित कर दें। स्थानान्तरित अधिकारियों को विरमित नहीं किया जाना नियंत्री पदाधिकारी की अनुशासनहीनता मानी जायेगी। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2016 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजें। स्थानान्तरित अधिकारियों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाय।

4. स्थानान्तरित अधिकारियों द्वारा नये पदस्थापन स्थान पर निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरम्भ कर दी जायेगी।

5. जिन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अभ्यावेदन पर किया गया है उन्हें यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

ह०/-
(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या :-5/आर०एल०-40-35/12 (पार्ट) श्र०सं०..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या :-5/आर०एल०-40-35/12 (पार्ट) श्र०सं०..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, कृ०श्र०, पटना/सभी उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/ सभी श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक सहित) एवं सम्बन्धित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।


ज्ञाप संख्या :-5/आर०एल०-40-35/12 (पार्ट) श्र०सं०..... पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उप श्रमायुक्त (मु०)/सहायक श्रमायुक्त (शोध)/ श्रमायुक्त के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या :-5/आर०एल०-40-35/12 (पार्ट) श्र०सं०...2726 पटना, दिनांक 21.6.16

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मो० सलीम)
श्रम आयुक्त, बिहार।